

मुकदमों का विवरण

मेसर्स नॉर्थ ईस्टर्न केमिकल्स इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड और ए. एन. आर.

वी.

मेसर्स अशोक पेपर मिल (ए. एस. एस. ए. एम.) लिमिटेड और ए. एन. आर. (2013 की सिविल अपील संख्या 2669)

11 दिसंबर, 2023

[अभय एस. ओका और संजय करोल, जेजे।] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या सीमा अधिनियम 1963 का अनुच्छेद 116, अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड (उपक्रम का अधिग्रहण हस्तांतरण) अधिनियम, 1990 की जोगीघोषा (असम) इकाई के तहत कार्यवाही पर लागू होता है और; यदि सीमा अधिनियम लागू नहीं होता है तो, विचाराधीन कानून के पाठ के भीतर सीमा रखे जाने के अभाव में, क्या भुगतान आयुक्त के आदेश के खिलाफ की गई अपील को उक्त आदेश से लगभग तीन साल की अवधि के बाद दायर किए जाने के कारण बनाए रखने योग्य माना जा सकता है।

अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड (उपक्रम का अधिग्रहण हस्तांतरण) अधिनियम, **1990** की जोगीघोषा (असम) इकाई-सीमा अधिनियम **1963**-अनुच्छेद **116-1990** के अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए अनुच्छेद **116** की प्रयोज्यता-अपील करने के लिए कानून में निर्धारित विशेष अवधि की अनुपस्थिति-शासन करने के लिए 'उचित समय' का सिद्धांत:

आयोजित किया गया: 1990 का अधिनियम सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 116 के तहत सीमा के प्रिस्क्रिप्शन द्वारा शासित नहीं है, क्योंकि इसके तहत भुगतान आयुक्त के आदेश से अपील को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत अपील नहीं कहा जा सकता है-असम राज्य का विधानमंडल संहिता के आवेदन को केवल अधिनियम के कुछ पहलुओं तक सीमित करने में स्पष्ट रहा है-यह देखते हुए कि जोगीघोषा अधिनियम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भुगतान आयुक्त होने की अनुमति देता है और फिर स्पष्ट रूप से उससे अपील करने का प्रावधान करता है, उच्च न्यायालय की खंड पीठ आगे इसमें प्रदान की गई अपील प्रक्रिया की स्वतः सामान्य प्रकृति का प्रमाण देती है-इसके अलावा, 822 को निर्धारित किसी विशेष अवधि के अभाव में।

821

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

यदि कोई अपील की जाती है, तो वह 'उचित समय' के सिद्धांत द्वारा शासित होगी, जिसके लिए कोई स्ट्रैटजैकेट सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है और इसका निर्धारण प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार किया जाना है-दावेदार-अपीलार्थी भुगतान आयुक्त के आदेश से व्यथित थे। 2005 – इसके खिलाफ दायर की गई अपील 05.11.2008 पर थी-यह प्रस्तुत किया गया था कि मध्यवर्ती अवधि में, अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका के माध्यम से उपचार का पीछा किया, जिसका निपटान 01.04.2008 पर बिना किसी विशेष राहत के किया गया था-जिला न्यायाधीश, यू/एस के समक्ष अपील। 22(8), जोगीघोषा अधिनियम, इसके बाद लागू किया गया और विचाराधीन आदेश 05.11.2008 पर पारित किया गया-न तो सामान्य और न ही निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर भुगतान आयुक्त के आदेश से अपील के लिए प्रावधान करने वाला विशिष्ट कानून, दावेदार-अपीलार्थियों की अपील को समय द्वारा वर्जित नहीं कहा जा सकता है और इस प्रकार, बनाए रखने योग्य है-संबंधित जिला न्यायाधीश के डॉकेट में पुनर्स्थापित फाइल-सिविल प्रक्रिया संहिता,

1908- कानूनों की व्याख्या-"अभिव्यक्ति यूनियस एस्ट एक्सक्लूजन अल्टरियस"।

[पैरा 28,30.1,30.2]

अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड (उपक्रम का अधिग्रहण हस्तांतरण) अधिनियम, **1990** की जोगीघोषा (असम) इकाई। **22(6), (7)** - सिविल प्रक्रिया संहिता, **1908**-दंड प्रक्रिया संहिता, **1973**-संहिताओं की प्रयोज्यता:

आयोजित किया गया:जोगीघोषा अधिनियम की धारा 22 (6) पर्याप्त रूप से स्पष्ट करती है कि आयुक्त के पास संहिता के तहत (ए), (बी), (सी), (डी) में उल्लिखित सीमित सीमा तक "दीवानी अदालत" में निहित शक्तियां होंगी-न केवल यू/एस। 22 (6) कोड का अनुप्रयोग सीमित है लेकिन आगे यू/एस है। 22 (7) – उसका आवेदन भी उसमें समान रूप से अच्छी तरह से सीमित है, आयुक्त को एस के प्रयोजनों के लिए एक दीवानी न्यायालय माना गया है। 195 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अध्याय XXVI-दोनों संहिताओं के अनुप्रयोग को निर्दिष्ट रूप से प्रतिबंधित करने के लिए राज्य विधानमंडल के इरादे के लिए या तो स्पष्ट रूप से गवाही देने की शक्तियों का विवरण, केवल प्रदान की गई सीमा तक -

वैधानिक व्याख्या का सिद्धांत:अभिव्यक्ति यूनिअस एस्ट एक्सक्लूशन अल्टरियस

(एक बात की अभिव्यक्ति दूसरे का बहिष्करण है) इस तरह के दृष्टिकोण का समर्थन करता है- इसलिए, यह स्पष्ट है कि किसी न्यायाधिकरण को कुछ चुनिंदा शक्तियों का निहित होना, या जैसा कि वर्तमान मामले में, एक वैधानिक प्राधिकरण, संहिता के अर्थ के भीतर एक न्यायालय होने के बराबर नहीं है-इसके अलावा, धारा 22 (6) 823 बताती है

“आयुक्त के पास अपने कार्यों के निर्वहन से उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी, जिसमें वह स्थान या स्थान भी शामिल है जहाँ वह अपनी बैठकें आयोजित करेगा, इस प्रस्ताव का भी समर्थन करता है कि संहिता आयुक्त की कार्यवाही पर लागू नहीं होती है।[पारस 15-18]

अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड की जोगीघोषा (असम) इकाई (उपक्रम का अधिग्रहण हस्तांतरण) अधिनियम, **1990 -धारा 22 (8)**-प्रत्यर्थी की याचिका कि एस के आधार पर।**22 (8)** मूल सिविल क्षेत्राधिकार के न्यायालय में अपील के लिए प्रावधान करने से संहिता के तहत अपील की जा रही है, जिसका तात्पर्य है कि जोगीघोषा अधिनियम स्वयं संहिता द्वारा शासित होगा:

आयोजित किया गया:जोगीघोषा अधिनियम की धारा 22 (8) को सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 116 द्वारा शासित संहिता के तहत अपील नहीं कहा जा सकता है-इस प्रकार, सीमा अधिनियम के ऐसे अनुच्छेद के तहत उल्लिखित सीमा की अवधि धाराओं पर लागू नहीं होगी।22 (8) जोगीघोषा अधिनियम। [पैरा 21]

सीमा-आदेश पर हमला करने के अधिकार के प्रयोग के संबंध में कोई स्पष्ट सीमा प्रदान नहीं की गई है-न्यायालय का कर्तव्य:

आयोजित किया गया:जब किसी न्यायालय को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां सीमा अधिनियम या विवाद को नियंत्रित करने वाले विशेष कानून की विनिर्दिष्ट सी प्रयोज्यता द्वारा कोई सीमा प्रदान नहीं की जाती है, तो न्यायालय को किसी पक्ष के लिए पूर्वाग्रह पैदा करने वाली देरी की संभावना की जांच करने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का समग्र मूल्यांकन करना चाहिए-जब कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाती है, तो किसी न्यायालय के लिए विधायिका के विवेक को अपने दम पर प्रतिस्थापित करना और एक सीमा प्रदान करना अनुचित होगा, जो कि वह उचित अवधि मानता है-ऐसी स्थिति में अदालत को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार विचार करना चाहिए, पक्षों के आचरण, कार्यवाही की प्रकृति, देरी की अवधि, पूर्वाग्रह होने की संभावना, और मामले की योजना पर विचार करना चाहिए।

824

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड (उपक्रम का अधिग्रहण हस्तांतरण) अधिनियम, 1990-सीमा अधिनियम, 1963 की जोगीघोषा (असम) इकाई के अनुसार, ऐसे मामलों में पक्षकारों को दशकों बाद मुकदमेबाजी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन इस तरह की परिस्थितियों में कम देरी से देरी नहीं होगी।[पैरा 25,27]

अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड (उपक्रम का अधिग्रहण हस्तांतरण) अधिनियम, 1990 की जोगीघोषा (असम) इकाई।17, 19, 20 - अधिनियम की योजना-एस में सीमा की अवधि को छोड़ना।22 (8) अधिनियम के बारे में:

आयोजित किया गया: अधिनियम के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि राज्य विधानमंडल सीमा के पहलू के प्रति सचेत था और इसलिए स्पष्ट रूप से, दावों के लिए निर्धारित अवधि ताकि दावे की संभावना को अनिश्चित रूप से खुला न छोड़ा जा सके-हालांकि, महत्वपूर्ण रूप से, विधानमंडल ने किसी भी सीमा की अवधि को रखने को छोड़ दिया।22 (8) अधिनियम से। [पैरा 26]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

विद्याचरण शुक्ला बनाम खुबचंद बघेल और अन्य, [1964] एस. सी. आर. 129:

ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1099-लागू नहीं होता।

इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया बनाम ऑफिशियल

लिक्विडेटर, [2017] 10 एससीआर 199:(2017) 16 एस. सी. सी. 137; पंजाब राज्य और

ओआरएस. वी.भटिंडा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ, [2007] 11 एससीआर 14: (2007) 11 एस. सी. सी. 363; भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड बनाम सुनील कृष्ण खेतान और अन्य, (2023) 2 एस. सी. सी. 643; जगदीश बनाम कर्नाटक राज्य, (2021) 12 एस. सी. सी. 812; मद्रास एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड, (2023) 8 एस. सी. सी. 240; एस. ई. बी. आई. बनाम भावेश पाबरी, (2019) 5 एस. सी. सी. 90; अजैब सिंह बनाम सरहिंद कूप।विपणन-सह-प्रसंस्करण सेवा

सोसायटी लिमिटेड, [1999] 2 एस. सी. आर. 505:(1999) 6 एस. सी. सी. 82-पर निर्भर।

नाहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम हांगकांग और शंघाई बैंकिंग

निगम, [2009] 12 एससीआर 54:(2009) 8 एस. सी. सी. 646; उत्तम नामदेव महाले बनाम विठ्ठल देव और अन्य, [1997] 1 पूरक।एससीआर 257:(1997) 6 एससीसी 73;

अमलेंदु कुमार बेरा बनाम डब्ल्यू. बी. राज्य, [2013] 2 एस. सी. आर. 484:(2013) 4 एससीसी

52; सत्यन बनाम उपायुक्त, [2019] 6 एस. सी. आर. 872:(2020) 14 एस. सी. सी. 210; स्टेट ऑफ एमपी बनाम अंशुमन शुक्ला, [2008] 8 एस. सी. आर. 349:(2008) 7 एस. सी. सी. 487; पी. सारथी बनाम एस. बी. आई., [2000] 1 पूरक।एससीआर 402:(2000) 5 एससीसी 355; आगा

मोहम्मद हमदानी बनाम कोहेन, (1886) आई. एल. आर. 13 कैल 221; रामासामी पिल्लई बनाम।

मेसर्स नॉर्थ ईस्टर्न केमिकल्स इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड v. मेसर्स अशोक पेपर मिल (ए. एस. एस. ए. एम.) लिमिटेड
मदुरा के डिप्टी कलेक्टर, ए. आई. आर. 1920 मैड 407; द्रोपति बनाम हीरा लाल, आई.
एल. आर. (1912) 34 सभी 496; पुरोहित एंड कंपनी बनाम खातूनबी, [2017] 2
एससीआर 1:(2017)

4 एस. सी. सी. 783-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: 2013 की सिविल अपील सं. 2669/2009 के सी. आर. पी. सं. 263
में गुवाहाटी उच्च न्यायालय, असम के दिनांकित 21.07.2011 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

पार्थिव के. गोसवानी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री चारु माथुर, प्रद्युम्न गोहिल, सुश्री तरुणा सिंह गोहिल,
सुश्री रानू पुरोहित, अलापति, सुश्री निधि मित्तल, सुश्री अतिगा सिंह, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के
लिए।

राजशेखर राव, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री लिज मैथ्यू, अरीब अमानुल्लाह, हर्षिल वेसन, सुश्री मल्लिका
अग्रवाल, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्याय

संजय करोल जे.,

1. इस सूची में निर्धारित किए जाने वाले प्रश्न इस प्रकार हैं:

क) क्या सीमा अधिनियम 1963 का अनुच्छेद 116, अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड (उपक्रम का
अधिग्रहण हस्तांतरण) अधिनियम, 1990 की जोगीघोषा (असम) इकाई के तहत कार्यवाही पर लागू
होता है। ख) आकस्मिक रूप से, यदि सीमा अधिनियम लागू नहीं होता है, तो सीमा को विचाराधीन
कानून के पाठ के भीतर रखे जाने के अभाव में, क्या भुगतान आयुक्त के आदेश के खिलाफ की गई
अपील को बनाए रखने योग्य माना जा सकता है, जो उक्त आदेश से लगभग तीन साल की अवधि
के बाद की गई है?

अपील

2. यह दीवानी अपील 21 जुलाई 2011 को 2009 के सी. आर. पी. संख्या 263 में पारित गुवाहाटी
उच्च न्यायालय के एक फैसले पर आक्षेप करती है, जिसके द्वारा दीवानी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

एम. ए. मामला सं. 18/2008 में जिला न्यायाधीश, कामरूप, गुवाहाटी द्वारा पारित 14 मई 2009 के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका की अनुमति है।

तथ्यों और पूर्ववर्ती प्रक्रियाओं की पृष्ठभूमि

3. दावेदार-अपीलकर्ता 1 और प्रतिवादी 2 दोनों कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियां हैं। अपीलार्थी को प्रत्यर्थियों को कुछ वस्तुओं की आपूर्ति करने के आदेश प्राप्त हुए थे। ऐसा करने के बाद, उन्होंने कुछ बिल उठाए जिनका उत्तरदाताओं द्वारा केवल आंशिक रूप से भुगतान किया गया था। 3.1 इसके बाद, उत्तरदाताओं को बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1935 के तहत "एक बीमार कंपनी" घोषित किया गया था। उद्योग के आवश्यक कार्याकल्प के लिए, असम सरकार ने अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड (उपक्रम का अधिग्रहण हस्तांतरण) अधिनियम, 1990 की जोगीघोषा (असम) इकाई को लागू किया।

3.2 अपीलार्थी ने जोगीघोषा अधिनियम की धारा 16 के तहत ब्याज के साथ-साथ 1,58,375 की राशि के लिए अपने दावे का नेतृत्व किया, जिसके खिलाफ भुगतान आयुक्त ने 4 को मुख्य राशि प्रदान की, लेकिन कोई ब्याज नहीं। ऐसी राशि का पुरस्कार दावेदार-अपीलार्थियों को दिनांक 16 जुलाई 1997 5 के अग्रेषण पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था। 16 जुलाई 1997 के पत्र द्वारा, दावेदार-अपीलकर्ताओं ने विरोध में, मूल राशि का पूरा भुगतान स्वीकार कर लिया। उन्होंने जनवरी 1983 से मार्च 1993 की अवधि के लिए और मार्च 1993 से भुगतान की तारीख, यानी 16 जुलाई 1997 तक किसी भी ब्याज का भुगतान न करने के संबंध में शिकायत की। इस तरह के पत्र में, दावा की गई ब्याज की कुल राशि प्रति वर्ष 18 प्रतिशत ब्याज पर 21,49,698/- थी।

3.3 दावा किए गए इस तरह के ब्याज का भुगतान न करने से व्यथित होकर, उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका 7 दायर की गई, जिसमें आयुक्त को बकाया मूल राशि पर अधिनिर्णय ब्याज पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई। पक्षकारों के अधिकारों के निर्णय के बिना इस तरह के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया था।

1 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी। इसके बाद दावेदार-अपीलार्थी के रूप में संदर्भित किया जाता है। 2 उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिकाकर्ता

3 इसके बाद जोगीघोषा अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया

4 दावे के मामले में सं। CP/Cat. VI/91/153। दिनांक 30 अक्टूबर 1994 के आदेश द्वारा

5 रिकॉर्ड में नहीं है। इस तरह के अग्रेषण पत्र की तारीख अपीलार्थियों के जवाब में प्रतिबिंबित होती है।

6 असर संदर्भ-एन. ई. सी. आई. एल./97-98

7 1997 का असर संख्या 4210। आदेश दिनांक 10 नवंबर 1997 827

3 महीने की अवधि के भीतर दावों पर विचार करने के निर्देश के साथ उच्च। 3.4 आयुक्त ने विलंबित भुगतान पर ब्याज देने के अनुरोध पर विचार करने पर, 6,83,688-8 की राशि को मंजूरी दे दी। फिर भी इससे व्यथित होकर दावेदारों ने एक बार फिर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

3.5 ऐसी कार्यवाही में, उच्च न्यायालय ने यह देखते हुए कि दावेदार कंपनी के ब्याज की पात्रता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, छोटे पैमाने और सहायक औद्योगिक उपक्रम अधिनियम 1993 10 के विलंबित भुगतान पर ब्याज की धारा 4 और 5 के अनुसार नए सिरे से देय ब्याज की गणना करने के लिए मामले को भुगतान आयुक्त को वापस भेज दिया। यह निर्देश दिया गया था कि यदि कोई अतिरिक्त ब्याज देय पाया जाता है, तो आदेश के 60 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा।

3.6 उक्त आदेश के विरुद्ध, उत्तरदाताओं-गैर-दावेदारों ने समीक्षा आवेदन 11 का नेतृत्व किया। हमले का आधार यह था कि लंबित बिलों के खिलाफ देय राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और इसलिए ब्याज की पुनः गणना के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है। उच्च न्यायालय ने 1993 के उस अधिनियम पर विचार करते हुए, जिसके तहत ब्याज का दावा किया गया था, यह अभिनिर्धारित किया कि गणना योग्य और देय ब्याज केवल 23 सितंबर, 1992 से होगा क्योंकि इस अधिनियम को उस तारीख से लागू किया गया था।

3.7 आगे की रिमांड 12 पर, आयुक्त ने अनुरोध पर आगे विचार करने के लिए धन की कमी दर्ज की और कहा कि आगे की पुनः गणना पर, जैसा कि है, कोई और देय राशि नहीं पाई गई।

3.8 इसके बाद, दावेदार-अपीलकर्ताओं ने इसके खिलाफ एक अपील का नेतृत्व किया और साथ ही, सीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत जिला न्यायाधीश, गुवाहाटी के समक्ष एक आवेदन दायर किया ताकि लिंग अपील संख्या 18/2008 में देरी को माफ किया जा सके।

8 अपीलार्थी के प्रबंध निदेशक द्वारा 9 अगस्त 2001 को लिखे गए पत्र के माध्यम से। वही रिकॉर्ड पर नहीं है। अभिलेख 9 मई 2001 के एक अभ्यावेदन को दर्शाता है जिसमें विलंबित भुगतान पर ब्याज का दावा 15,93,957 का है। हालाँकि, आयुक्त के पुरस्कार पत्र में लिखा है कि गणना में त्रुटि हुई है। 9 2002 की लिखित याचिका सं. 4520। 19 मई 2004 का आदेश

10 संक्षेप में, "1993 का अधिनियम"

11 2001 के आवेदन 91 की समीक्षा करें

12 आदेश संख्या-डी. आई. (वी) ए. पी. एम./एन. ई. सी./199/2005/26 दिनांक 13 अप्रैल 2005

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

3.9 विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा 14 मई 2009 के आदेश के माध्यम से यह देखा गया था कि चूंकि आयुक्त के निर्णय से असंतोष पर प्रधान सिविल न्यायालय के समक्ष अपील करने के लिए कोई विशिष्ट समय प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए ऐसी अपील स्वीकार की जानी चाहिए।

3.10 यह इस आदेश के खिलाफ है कि सिविल संशोधन 13 में हमारे सामने आक्षेपित आदेश पारित किया गया।

द इम्प्यूज्ड जजमेंट

4. सिविल समीक्षा में विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के साथ सीमा अधिनियम, 1963 की जांच की और विस्तृत विचार के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि चूंकि धारा 22 (8) के तहत एक अपील को सीमा की अवधि द्वारा प्रतिबंधित किए बिना सिविल क्षेत्राधिकार के प्रधान न्यायालय को प्रदान किया गया है, इसलिए इसे संहिता के तहत प्रदान की गई अपील के रूप में माना जाएगा, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता 14 है, जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के लिए है और ऐसी अपील के लिए, सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 116 के तहत निर्धारित सीमा की अवधि लागू होगी। अतः तत्काल तथ्यों में, निष्कर्ष यह था कि अपील को जिला न्यायाधीश द्वारा गलती से स्वीकार कर लिया गया था और इसे खारिज कर दिया गया था क्योंकि यह सीमा के आधार पर बनाए रखने योग्य नहीं था।

दलों के स्वयं के बारे में सुझाव

5. हमने बहुत विस्तार से सुना है, दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील, दावेदार-अपीलार्थियों की ओर से श्री पार्थिव के गोस्वामी और प्रतिवादी की ओर से श्री राजशेखर राव और लिखित प्रस्तुतियों का भी अध्ययन किया है।

ए. दावेदार-अपीलार्थी

6. यह प्रस्तुत किया जाता है कि, विद्वान एकल न्यायाधीश की निर्भरता

विद्याचरण शुक्ला बनाम खुबचंद बघेल और अन्य। 15 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ)

इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि धारा 22 (8) के तहत अपील को सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 116 द्वारा कवर किया जाएगा, गलत था क्योंकि उसमें बहुमत का विचार था कि सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 156 को आकर्षित करना था।

13 याचिका सं. 263/2009

14 इसके बाद "द कोड" 15 ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1099 (पाँच-न्यायाधीशों की पीठ) के रूप में संदर्भित किया गया है।

1908, वर्तमान अधिनियम के अनुच्छेद 116 की संबंधित धारा के अनुसार, यह आवश्यक नहीं था कि अपील संहिता द्वारा ही प्रदान की जाए। यह पर्याप्त होगा यदि अपील को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया संहिता के अनुसार होगी।

6.1 विद्याचरण शुक्ल (उपर्युक्त) की तथ्य स्थिति के विपरीत, जहां संबंधित प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का 116 ए (2) था, इसमें विशेष अधिनियम और विशेष रूप से उसमें उल्लिखित अपील प्रावधान में यह प्रावधान नहीं है कि अपील को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया संहिता के अनुसार होगी। विशेष रूप से, उक्त संविधान पीठ के फैसले के पैरा 6-8, 18, 19 और 33 पर निर्भरता रखी गई है।

6.2 अनुच्छेद 116 के प्रयोग के लिए एक अन्य "शर्त पूर्ववर्ती" यह है कि इसके द्वारा शासित अपील एक आदेश या डिक्री से उत्पन्न होती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में पारित आदेश न तो डिक्री है और न ही आदेश। इसके अलावा यह प्रस्तुत किया जाता है कि 13 अप्रैल 2005 का आदेश, जो वह आदेश था जिसके खिलाफ विषय अपील की गई थी, एक कार्यकारी अधिकारी द्वारा पारित एक आदेश था जो न तो अदालत है और न ही कानून में मान्यता प्राप्त दीवानी अदालत है। विद्वान वरिष्ठ वकील

नाहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम हांगकांग और शंघाई

बैंकिंग निगम 16. विशेष रूप से, पैरा 26, 67-69, 71-73, 85, 86 और 89 पर भरोसा किया जाता है।

6.3 भुगतान आयुक्त को दी गई दीवानी अदालत की शक्तियां बहुत सीमित उद्देश्य के लिए हैं। यही कारण है कि अनुच्छेद 116 लागू नहीं होगा। इसका अर्थ है कि वर्तमान अपील सीमा अधिनियम के दायरे से बाहर है और इसे किसी भी समय चलाया जा सकता है। संदर्भ

उत्तम नामदेव महाले बनाम विठ्ठल देव और अन्य को बनाया गया है। **17.**

6.4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि की गई दलीलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भले ही यह निष्कर्ष निकाला गया हो कि सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 116 लागू होगा या अपील करने की समय अवधि "एक उचित अवधि" होगी, मामले को जिला न्यायाधीश को मूल अधिकार क्षेत्र के प्रधान दीवानी न्यायालय (अपीलीय होने के नाते) के रूप में भेजा जा सकता है।

16 (2009) 8 एससीसी 646 17 (1997) 6 एससीसी 73

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

न्यायालय) सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन पर विचार करने के लिए।

बी. उत्तरदाता

7. यह प्रस्तुत किया जाता है कि सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 116 को आकर्षित करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि इस तरह का अपीलीय उपचार संहिता द्वारा प्रदान किया जाए। यह केवल इतना है कि ऐसी अपील की प्रक्रिया संहिता के तहत नियंत्रित की जाए।

7.1 अधिनियम में भुगतान आयुक्त द्वारा पारित आदेश से मूल अधिकार क्षेत्र के प्रमुख दीवानी न्यायालय में अपील करने का प्रावधान है, जो सभी इरादे और उद्देश्यों से न्यायालय द्वारा शासित होता है। 7.2 सांविधिक योजना के एक पठन से पता चलता है कि विधानमंडल का इरादा आयुक्त को "सभी व्यावहारिक उद्देश्यों" के लिए दीवानी न्यायालय के रूप में कार्य करने का था। यह तथ्य कि इससे एक अपील मूल अधिकार क्षेत्र के प्रधान दीवानी न्यायालय में निहित है, इस तरह के इरादे को और पुष्ट करता है।

7.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुच्छेद 116 उच्च न्यायालय को किसी भी डिग्री या आदेश से संहिता के तहत अपील के मामलों में सीमा का प्रावधान करता है। विद्याचरण शुक्ल ने एक तीसरी श्रेणी बनाई जिसमें अपील संहिता के प्रावधानों द्वारा शासित नहीं होती है, लेकिन इसलिए प्रक्रिया और उससे निपटने की शक्तियां संहिता द्वारा शासित होती हैं।

7.4 दावेदार-अपीलार्थी का तर्क, यह प्रस्तुत किया गया था, सीमा कानून के उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत है जो यह सुनिश्चित करना है कि कोई विवाद अंतहीन रूप से जीवित न रहे और इसके अधीन पक्ष हमेशा के लिए अनिश्चितता के देश में न रहें।

7.5 जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील, भुगतान आयुक्त द्वारा आदेश पारित होने के 3 साल 6 महीने और 22 दिन बाद की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दण्डादेश आवेदन में देरी, जिसमें कहा गया है कि केवल तभी अपीलार्थी को जोगीघोषा अधिनियम की धारा 22 (8) के प्रावधानों के बारे में पता चला, कानून की अज्ञानता के बराबर है जो अनुमेय बहाना नहीं है।

7.6 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि, अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि न्यायालयों को 831 की अनुपस्थिति में देरी को माफ करने में उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाना है।

मेसर्स नॉर्थ ईस्टर्न केमिकल्स इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड v. मेसर्स अशोक पेपर मिल (ए. एस. एस. ए. एम.) लिमिटेड [संजय करोल, जे.] 832

पर्याप्त कारण। इस स्थिति को साबित करने के लिए, विद्वान वरिष्ठ वकील

अमलेंदु कुमार बेरा बनाम डब्ल्यू. बी. 18 राज्य

7.7 बिना किसी पूर्वाग्रह के आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक निर्धारित सांविधिक सीमा के अभाव में, न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाना चाहिए।

“उचित समय”। सत्यन बनाम उपायुक्त 19 पर भरोसा किया जाता है।

7.8 अधिनियम की धारा 19 में निर्दिष्ट तिथि से 30 दिनों के भीतर आयुक्त के समक्ष दावा करने का प्रावधान है। यह प्रावधान करता है कि यदि ऐसे प्राधिकरण को संतुष्ट किया जाता है कि दावेदार को

पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह 30 दिनों की आगे की अवधि के भीतर दावे पर विचार कर सकता है, लेकिन बाद में नहीं-इससे पता चलता है कि इरादा एक संक्षिप्त और त्वरित दावा निपटान तंत्र प्रदान करने का था। इससे यह सुझाव दिया जाता है कि यह सुझाव देना अनुचित होगा कि विधानमंडल ने दावों के लिए एक सख्त समय सीमा प्रदान की थी, लेकिन अपील के लिए एक अंतहीन अवसर प्रदान करने का इरादा था।

इस न्यायालय द्वारा विचार

8. "न्यायालय" शब्द संहिता के तहत अवहेलना नहीं है। यह क्रमशः धारा 2 (2) और धारा 2 (14) में एक डिक्री और एक आदेश की अवहेलना करता है। उक्त परिभाषाओं को नीचे निकाला गया है।

“धारा 2 (2) "डिक्री" का अर्थ है किसी निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति जो, जहाँ तक इसे व्यक्त करने वाले न्यायालय के संबंध में है, वाद में विवादग्रस्त सभी या किसी भी मामले के संबंध में पक्षों के अधिकारों को निर्णायक रूप से निर्धारित करती है और या तो प्रारंभिक या अंतिम हो सकती है। यह माना जाएगा कि इसमें धारा 144 के भीतर किसी शिकायत की अस्वीकृति और किसी भी प्रश्न का निर्धारण शामिल है, लेकिन इसमें शामिल नहीं होगा।

((क) कोई निर्णय जिसमें से कोई अपील किसी आदेश की अपील के रूप में होती है, या

(ख) चूक के लिए बर्खास्तगी का कोई आदेश।

स्पष्टीकरण। एक डिक्री प्रारंभिक होती है जब मुकदमे को पूरी तरह से निपटाने से पहले आगे की कार्यवाही की जानी होती है। यह तब लागू होता है जब इस तरह का निर्णय मुकदमे का पूरी तरह से निपटारा करता है। यह आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से वास्तविक हो सकता है।”

18 (2013) 4 एससीसी 52 19 (2020) 14 एससीसी 210

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

“धारा 2 (14) "आदेश" का अर्थ है सिविल न्यायालय के किसी भी निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति जो डिक्री नहीं है।”

9. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 "न्यायालय" शब्द को निम्नानुसार परिभाषित करता है:- “3“अदालत ”।—“"न्यायालय" में सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट और मध्यस्थों को छोड़कर सभी व्यक्ति शामिल हैं, जो कानूनी रूप से साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत हैं।”

तथापि, यह न्यायालय एम. पी. बनाम अंशुमन शुक्ला 20 के मामले में, जबकि

कलकत्ता उच्च न्यायालय 21 के एक निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा गया कि उक्त अधिनियम के तहत अवज्ञा संपूर्ण नहीं है, लेकिन साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत सभी प्राधिकरणों को उक्त प्रावधान के अर्थ के तहत अदालतों के रूप में माना जाना चाहिए।

10. पी. सारथी बनाम एस. बी. आई. 22 में इस न्यायालय ने कहा है कि

“13. न्यायालय ने भारत बैंक लिमिटेड बनाम भारत बैंक लिमिटेड मामले में पहले के फैसलों का उल्लेख किया। कर्मचारी [1950 एस. सी. सी 470:ए. आई. आर 1950 एस. सी. 188:1950 एस. सी. आर. 459]; मकबूल हुसैन बनाम बॉम्बे राज्य [ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 325:1953 एस. सी. आर. 730] और ब्रजनंदन सिन्हा बनाम ज्योति नारायण [ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 66: (1955) 2 एससीआर 955]। न्यायालय ने इन मामलों में निर्धारित नियम को मंजूरी दी कि इस शब्द के सख्त अर्थों में न्यायालय का गठन करने के लिए, एक आवश्यक शर्त यह है कि न्यायालय के पास न्यायिक न्यायाधिकरण के कुछ निहितार्थों के अलावा, निर्णय देने की शक्ति या एक अवज्ञापूर्ण निर्णय होना चाहिए जिसमें वास्तविकता और प्राधिकरण हो जो न्यायिक घोषणा के आवश्यक परीक्षण हैं।”

11. सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 116 अपील के लिए सीमा की अवधि प्रदान करता है, क) उच्च न्यायालय को, अर्थात् आदेश/डिक्री की तारीख से 90 दिन; और ख) आदेश/डिक्री की तारीख से 30 दिन बाद किसी अन्य न्यायालय को। 12. दावेदार-अपीलकर्ताओं का तर्क है कि विद्याचरण शुक्ल (ऊपर) में यह अदालती फैसला स्पष्ट रूप से वर्तमान विवाद से अलग है। उक्त मामले में, अन्य बातों के साथ-साथ, अदालत को एक कानून (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951) का सामना करना पड़ा, जिसके लिए अदालत को स्पष्ट रूप से लागू किया गया है, जबकि यहां ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ

20 (2008) 7 एस. सी. सी. 487

21 महारानी बनाम आशुतोष चक्रबुट्टी [आई. एल. आर. (1879-80) 4 कैल 483] 22 (2000) 5 एस. सी. सी. 355 833

मेसर्स नॉर्थ ईस्टर्न केमिकल्स इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड v. मेसर्स अशोक पेपर मिल (ए. एस. एस. ए. एम.) लिमिटेड [संजय करोल, जे.] 834

साथ ही, प्रत्यर्थियों का तर्क है कि चूंकि जोगीघोषा अधिनियम की धारा 22 (8) के तहत एक अपील मूल नागरिक क्षेत्राधिकार के एक प्रमुख न्यायालय में है, जो 'न्यायालय द्वारा शासित' अपील के रूप में योग्य है-सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 116 आकर्षित किया जाएगा।

13. विद्याचरण शुक्ल में संविधान पीठ ने संदर्भित किया

आगा मोहम्मद हमदानी बनाम कोहेन **23**, रामासामी पिल्लई बनाम मदुरा के डिप्टी कलेक्टर **24** और द्रोपदी बनाम हीरा में उच्च न्यायालयों के तीन निर्णय

लाल 25. इन तीन निर्णयों में से प्रत्येक में, संबंधित उच्च न्यायालयों को सीमा अधिनियम (अब अनुच्छेद 116) के अनुच्छेद 156 को क्रमशः बर्मा न्यायालय के अधिनियम, प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1907 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में लागू करने का काम सौंपा गया था। कोहेन (ऊपर) में यह देखा गया था कि "सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अपील का स्वाभाविक अर्थ हमें सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा शासित एक अपील प्रतीत होता है जहां तक प्रक्रिया का संबंध

है।"हीरा लाल (सुप्रा) मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने कहा कि इसकी धारा 47 की आपत्ति संहिता के प्रावधानों को आकर्षित करती प्रतीत होती है।रामासामी पिल्लई (ऊपर) में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 54 के आधार पर, अपीलों को नियंत्रित करने के लिए संहिता में पूरी तरह से निर्धारित प्रक्रिया को भूमि अधिग्रहण अधिनियम पर लागू किया गया था। उच्च न्यायालयों के उपरोक्त निर्णयों के समान यह न्यायालय उक्त निर्णय में एक कानून पर भी विचार कर रहा था जिसने संहिता के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से लागू किया था।अतः अभिनिर्णय यह है कि संहिता द्वारा शासित विशेष कानूनों में दी गई अपीलों को सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 116 के प्रयोजनों के लिए संहिता के तहत अपील कहा जा सकता है।

14. अब हम जोगीघोषा अधिनियम की धारा 22 (6) का उल्लेख कर सकते हैं जो अधिनियम के तहत आयुक्त में निहित शक्तियों से संबंधित है। जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

“(6) आयुक्त के पास अपने कार्यों के निर्वहन से उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी, जिसमें वह स्थान या स्थान भी शामिल है जहाँ वह अपनी बैठकें करेगा और

23 (1886) आईएलआर 13 कैल 221 24 एयर 1920 मैड 407

25 आई. एल. आर. (1912) 34 सभी 496 (एफ. बी.)

26 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 90

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

इस अधिनियम के तहत जांच करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित मामलों के संबंध में वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:- (क) किसी भी गवाह को बुलाना और उसकी उपस्थिति को लागू करना और शपथ पर उससे पूछताछ करना:

((ख) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने योग्य किसी दस्तावेज या अन्य भौतिक वस्तु की खोज और उत्पादन;

(ग) एफ़ी दावितों पर साक्ष्यों का ग्रहण;

((घ) गवाह की परीक्षा के लिए कोई आयोग जारी करना।”15. जोगीघोषा अधिनियम की उपरोक्त निकाली गई धारा का अवलोकन पर्याप्त रूप से स्पष्ट करता है कि आयुक्त के पास "इस अधिनियम के तहत जांच करने और जांच करने के उद्देश्य से" संहिता के तहत (ए), (बी), (सी), (डी) में उल्लिखित सीमित सीमा तक "दीवानी अदालत" में निहित शक्तियां होंगी।16. असम राज्य विधानमंडल का इरादा बिल्कुल स्पष्ट है।न केवल धारा 22 (6) के तहत कोड का अनुप्रयोग सीमित है, बल्कि आगे धारा 22 (7) 27 के तहत है।आयुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195

और अध्याय XXVI के प्रयोजनों के लिए एक दीवानी न्यायालय माना गया है। धारा 195 लोक सेवकों के वैध अधिकार की अवमानना, लोक न्याय के खिलाफ अपराध और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए अभियोजन का प्रावधान करती है। अध्याय XXVI न्याय प्रशासन को लागू करने से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। 17. संहिता या Cr.P.C की शक्तियों का उपरोक्त विवरण स्पष्ट रूप से दोनों संहिताओं के अनुप्रयोग को निर्दिष्ट रूप से प्रतिबंधित करने के राज्य विधानमंडल के इरादे की गवाही देता है, केवल प्रदान की गई सीमा तक। वैधानिक व्याख्या का सिद्धांत: अभिव्यक्ति यूनिअस एस्ट एक्सक्यूजन अल्टेरियस (एक चीज की अभिव्यक्ति दूसरी का बहिष्कार है) इस तरह के दृष्टिकोण का समर्थन करती है। हम यह भी देखते हैं कि इस न्यायालय के पास अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति है

27 “7. आयुक्त के समक्ष किसी भी जांच को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ के भीतर एक न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा, और आयुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय XXVI के प्रयोजनों के लिए एक दीवानी न्यायालय माना जाएगा।”

835

मेसर्स नॉर्थ ईस्टर्न केमिकल्स इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड v. मेसर्स अशोक पेपर मिल (ए. एस. एस. ए. एम.) लिमिटेड [संजय करोल, जे.] 836

रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ़ इंडिया बनाम ऑफिशियल लिक्विडेटर **28**

नीचे: “9. यह तथ्य कि न्यायाधिकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक दीवानी अदालत के रूप में कुछ शक्तियां निहित की जा सकती हैं, गवाहों को बुलाने और उनकी उपस्थिति को लागू करने, दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुत करने, हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करने, गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए आयोग जारी करने, अपने निर्णयों की समीक्षा करने आदि के संबंध में, इसमें अदालत का दर्जा निहित नहीं है। धारा 22 (1) वास्तव में यह प्रावधान करती है कि न्यायाधिकरण सी. पी. सी. के तहत प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं होगा, और प्राकृतिक न्याय के अनुसार अपनी प्रक्रियाओं को विनियमित कर सकता है।”

(जोर दिया गया) 18. इसलिए, उपरोक्त निकाले गए निर्णय से यह स्पष्ट है कि किसी न्यायाधिकरण या वर्तमान मामले में किसी वैधानिक प्राधिकरण को कुछ चुनिंदा शक्तियां सौंपना, संहिता के अर्थ के भीतर एक न्यायालय के बराबर नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 22 (6) में कहा गया है कि “आयुक्त को अपने कार्यों के निर्वहन से उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी, जिसमें वह स्थान या स्थान भी शामिल है जहाँ वह अपनी बैठकें करेगा”; यह इस प्रस्ताव का भी समर्थन करता है कि संहिता आयुक्त की कार्यवाही पर लागू नहीं होती है। 19. अब हमें प्रत्यर्थी के इस तर्क पर विचार करना चाहिए कि धारा 22 (8) के आधार पर मूल सिविल क्षेत्राधिकार के न्यायालय में अपील का प्रावधान करने से संहिता के तहत अपील की जा रही है, जिसका तात्पर्य है कि जोगीघोषा अधिनियम स्वयं संहिता द्वारा शासित होगा। धारा 22 (8) निम्नानुसार है:—

“8. एक दावेदार, जो आयुक्त के निर्णय से असंतुष्ट है, ऐसे निर्णय के खिलाफ स्थानीय सीमाओं के भीतर मूल अधिकार क्षेत्र के प्रमुख दीवानी न्यायालय में अपील कर सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में सरकारी कंपनी का उपक्रम स्थित है।

बशर्ते कि जहां कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, उसे आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहां ऐसी अपील उच्च न्यायालय में होगी -

28 (2017) 16 एससीसी 137

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

गुवाहाटी और ऐसी अपील की सुनवाई उस उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी और उसका निपटारा किया जाएगा।”

20. वैधानिक व्याख्या का उपरोक्त देखा गया सिद्धांत अन्यथा सुझाव देगा। जैसा कि चर्चा की गई है, राज्य विधानमंडल जोगीघोपा अधिनियम के केवल कुछ हिस्सों को संहिता द्वारा शासित करने के लिए सचेत रहा है। यहाँ केवल हम धारा 22 (8) के परंतुक पर ध्यान दे सकते हैं जिसमें कहा गया है कि यदि जोगीघोपा अधिनियम के तहत आयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, तो ऐसे आयुक्त के आदेश की अपील उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों के समक्ष होगी।

21. यही कारण है कि जोगीघोपा अधिनियम की धारा 22 (8) को सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 116 द्वारा शासित संहिता के तहत अपील नहीं कहा जा सकता है। तब जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि सीमा अधिनियम के ऐसे अनुच्छेद के तहत उल्लिखित सीमा की अवधि जोगीघोपा अधिनियम की धारा 22 (8) पर लागू नहीं होगी। इसलिए, दावेदार-याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को स्वीकार किया जाना चाहिए कि विद्याचरण शुक्ला (ऊपर) के साथ विवादित फैसले की निर्भरता गलत है।

22. उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या भुगतान आयुक्त के आदेश के खिलाफ की गई तत्काल अपील कायम रखने योग्य है या नहीं? इस तरह के प्रश्न पर विचार करने से पहले, हमें इस बात की भी जांच करने की आवश्यकता होगी कि क्या स्पष्ट रूप से निर्धारित सीमा के अभाव में, भुगतान आयुक्त द्वारा पारित आदेश की अपील पर विचार किया जा सकता है, चाहे समय बीत गया हो? 23. यह विवाद वैधानिक अधिकार के प्रयोग से संबंधित है। आदेश पर हमला करने के अधिकार के प्रयोग के संबंध में कोई स्पष्ट सीमा प्रदान नहीं किए जाने के मुद्दे ने पहले भी कुछ अवसरों पर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है। हम नीचे कुछ निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं:—

23.1 पंजाब राज्य में और अन्य बनाम। भटिंडा जिला सहकारी समिति

दूध उत्पादक संघ 29 इस न्यायालय ने कहा कि -

“18. यह सामान्य बात है कि यदि सीमा की कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है, तो सांविधिक प्राधिकारी को उचित अवधि के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन, उचित अवधि क्या होगी, यह निर्भर करेगा।

29 (2007) 11 एससीसी 363 837

मेसर्स नॉर्थ ईस्टर्न केमिकल्स इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड v. मेसर्स अशोक पेपर मिल (ए. एस. एस. ए. एम.) लिमिटेड [संजय करोल, जे.] 838

कानून की प्रकृति, उसके तहत अधिकारों और देनदारियों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर।”

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड बनाम सुनील कृष्ण खेतान और अन्य में इस सिद्धांत को दोहराया गया है। 30.

23.2 जगदीश बनाम कर्नाटक राज्य 31 में, इस न्यायालय ने एक

यह दोहराने के लिए निर्णयों की संख्या कि जहां विचाराधीन कानून एक सीमा निर्धारित नहीं करता है, उसमें प्रदत्त अधिकारों का उचित समय के भीतर प्रयोग किया जाना चाहिए।

23.3 उचित समय के इस पहलू पर हाल ही में चर्चा की गई थी

मद्रास एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य में न्यायालय

विद्युत बोर्ड 32 ने एस. ई. बी. आई. बनाम भावेश पाबरी 33 में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को संदर्भित करते हुए कहा कि इस अवधारणा को प्रत्येक मामले में अपने विशिष्ट तथ्यों के अनुसार लागू और न्याय किया जाना है। 24. हम आगे अजैब सिंह बनाम सरहिंद में की गई टिप्पणियों का उल्लेख करते हैं।

कॉप। विपणन-सह-प्रसंस्करण सेवा सोसायटी लिमिटेड 34

कि न्यायालयों को उन मामलों में सीमा की विशिष्ट सी अवधि निर्धारित करने से सावधान रहना चाहिए जहां विधायिका ने ऐसा करने से परहेज किया है। यह भी कहा गया कि जहां विलंब का बचाव ऐसी स्थिति में किया जाता है जहां कानून द्वारा कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाती है, यदि इस तरह की देरी को माफ कर दिया जाता है, तो पक्ष द्वारा किए गए सटीक पूर्वाग्रह या नुकसान को तथ्यों पर दिखाया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, एक विशिष्ट सी सीमा के अभाव में अदालतों के लिए किसी याचिका को खारिज करना अनुचित होगा जो पूरी तरह से देरी के आधार पर है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में दूसरे पक्ष को हुए कानून आदेश पूर्वाग्रह की प्रकृति की जांच किए बिना।

अजैब सिंह (ऊपर) में स्वामित्व तीन न्यायाधीशों द्वारा तय किया गया था।

पुरोहित एंड कंपनी बनाम मामले में इस अदालत की पीठ। खातूनबी। 35

25. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, यह स्पष्ट है कि जब किसी न्यायालय को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां कोई सीमा निर्दिष्ट सी प्रयोज्यता द्वारा प्रदान नहीं की जाती है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

सीमा अधिनियम या विवाद को नियंत्रित करने वाले विशेष क़ानून के अनुसार, न्यायालय को किसी पक्ष के लिए पूर्वाग्रह पैदा करने में देरी की संभावना की जांच करने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का समग्र मूल्यांकन करना चाहिए। जब कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाती है तो किसी न्यायालय के लिए विधायिका के विवेक को अपने दम पर प्रतिस्थापित करना और एक सीमा प्रदान करना अनुचित होगा, विशेष रूप से उस अवधि के अनुसार जिसे वह उचित अवधि मानता है। ऐसी स्थिति में अदालत को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के आचरण, कार्यवाही की प्रकृति, देरी की अवधि, पूर्वाग्रह होने की संभावना और विचाराधीन क़ानून की योजना पर विचार करना चाहिए। यहां यह रेखांकित किया जा सकता है कि जब किसी विवाद का कोई पक्ष क़ानून में कोई निर्दिष्ट अवधि निर्धारित नहीं होने के बावजूद देरी का अनुरोध करता है, तो ऐसा पक्ष यह प्रदर्शित करने का बोझ भी वहन करता है कि कैसे देरी अपने आप में पक्ष को अतिरिक्त पूर्वाग्रह या नुकसान का कारण बनेगी, इसके विपरीत, विवाद का दावा विषय, जो पहले समय पर उठाया जा रहा है।

26. प्रश्न का निर्धारण करने में, जोगीघोषा अधिनियम की वैधानिक योजना पर ध्यान देना भी उपयोगी होगा। अधिनियम की धारा 17 में कहा गया है कि राज्य सरकार या सरकारी कंपनी, नियत दिन के 30 दिनों के भीतर, कंपनी के दायित्व के निर्वहन के लिए अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत आयुक्त को सभी राशियों का नकद भुगतान करेगी। धारा 19 में कहा गया है कि अनुसूची के तहत भुगतान का दावा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति निर्दिष्ट तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर आयुक्त के समक्ष दावा करेगा। इसके परंतुक में कहा गया है कि आयुक्त के पास प्रारंभिक अवधि की समाप्ति के बाद अतिरिक्त 30 दिनों के लिए किए गए दावों पर विचार करने की शक्ति भी है, लेकिन उसके बाद नहीं। अनुसूची के साथ पठित धारा 20, देनदारियों का निर्वहन करते समय भुगतान की प्राथमिकता निर्धारित करती है। जैसा कि उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानों से स्पष्ट है, राज्य विधानमंडल सीमा के पहलू से अवगत था और इसलिए उसने स्पष्ट रूप से दावों के लिए अवधि निर्धारित की है ताकि दावे की संभावना को अनिश्चित रूप से खुला न छोड़ा जा सके। महत्वपूर्ण रूप से, जब अधिनियम की धारा 22 (8) की बात आती है तो विधायिका ने किसी भी सीमा की अवधि को छोड़ दिया। 27. जब कोई क़ानून, या तो सामान्य या आवेदन में विशिष्ट सी, एक सीमा का प्रावधान करता है जिसके भीतर एक अपील दायर की जाती है, तो ऐसा करने में रुचि रखने वाले पक्षों को अभियान के साथ कार्य करने की आवश्यकता के बारे में सूचित किया जाता है। तथापि, इसके विपरीत, वर्तमान जैसे मामलों में जहां कोई भी क़ानून 839 नहीं है।

एक स्पष्ट सीमा प्रदान करता है, ऐसी तात्कालिकता अनुपस्थित हो सकती है। हालांकि यह अभी भी सच है कि, जैसा कि अजैब (उपरोक्त) में कहा गया है, यह पक्षकारों को दशकों बाद के मुद्दों पर मुकदमा करने का अधिकार नहीं देता है, हालांकि ऐसी परिस्थितियों में कम देरी, देरी और अड़चनों को आकर्षित नहीं करेगी।

28. वर्तमान तथ्य यह है कि दावेदार-अपीलार्थी 13 अप्रैल 2005 के भुगतान आयुक्त के एक आदेश से व्यथित हैं। इसके खिलाफ 5 नवंबर 2008 को अपील दायर की गई थी। बीच की अवधि में, दावेदार-अपीलार्थियों द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि उन्होंने उच्च न्यायालय 36 के समक्ष अवमानना याचिका के माध्यम से उपचार किया, जिसका 1 अप्रैल 2008 को बिना किसी विशेष राहत के निपटारा किया गया। जोगीघोषा अधिनियम की धारा 22 (8) के तहत जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील की गई और 5 नवंबर 2008 को आदेश पारित किया गया।

29. ऊपर की गई चर्चा के परिणामस्वरूप, न तो सामान्य और न ही निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर भुगतान आयुक्त के आदेश से अपील के लिए प्रावधान करने वाले विशिष्ट कानून, दावेदार-अपीलार्थियों की अपील को समय द्वारा वर्जित नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, वही बनाए रखा जा सकता है।

30. इस अपील में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया गया है-30.1 अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड (उपक्रम का अधिग्रहण हस्तांतरण) अधिनियम, 1990 की जोगीघोषा (असम) इकाई, सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 116 के तहत सीमा के प्रिस्क्रिप्शन द्वारा शासित नहीं है, क्योंकि इसके तहत भुगतान आयुक्त के आदेश से अपील को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत अपील नहीं कहा जा सकता है क्योंकि असम राज्य के विधानमंडल ने संहिता के अनुप्रयोग को केवल अधिनियम के कुछ पहलुओं तक सीमित करने में स्पष्ट किया है। यह देखते हुए कि जोगीघोषा अधिनियम उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को भुगतान आयुक्त होने की अनुमति देता है और फिर स्पष्ट रूप से उससे अपील करने का प्रावधान करता है, उच्च न्यायालय की खंड पीठ उसमें प्रदान की गई अपील प्रक्रिया की सामान्य प्रकृति का सबूत देती है।

36 2005 का अवमानना मामला 293,11 मई 2005 को दायर किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

30.2 अपील दायर करने के लिए कोई विशेष अवधि निर्धारित किए जाने के अभाव में, यह 'उचित समय' के सिद्धांत द्वारा शासित होगा, जिसके लिए, इसकी प्रकृति के आधार पर, कोई स्ट्रैटजिकेट सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है और इसे प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित किया जाना है। वर्तमान में, घटनाओं के क्रम को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर ध्यान दिया गया है-दावेदार-अपीलकर्ताओं को जिला न्यायाधीश के समक्ष अपनी अपील में उचित समय की सीमाओं का उल्लंघन करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

31. अपील की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है।कानून के अनुसार और इसमें की गई चर्चाओं के आलोक में आगे बढ़ने के लिए संबंधित जिला न्यायाधीश को फिर से सौंप दिया जाता है।जिला न्यायाधीश द्वारा इस निर्णय और आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से संभवतः तीन महीने की अवधि के भीतर इसका निर्णय लिया जाना चाहिए, जैसा कि उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों के कारण आवश्यक है।

32. संबंधित लागतों को वहन करने के लिए दल।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे